समाहरणालय, सिवान।

(जिला आपूर्ति शाखा)

नई जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त दावा–आपत्ति के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन

प्रखण्ड–दरौली	पंचायत–सरहरवॉ	रिक्ति–01 आरक्षण कोटि – अनारक्षित महिला (1)	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	अमृता कुमारी पिता–ओम प्रकाश यादव ग्राम+पोस्ट–सरहरवा	क्रमांक 01 पर अंकित अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के साथ संलग्न कम्प्यूटर प्रमाण पत्र फर्जी/जाली होने की प्रबल आशंका है विभागीय मानकों के अनुरूप उपयुक्त एवं स्थाई गोदाम उपलब्ध नही है। आवेदन की दर्शाई गई भूमि संयुक्त परिवार की है। गोदाम तक राशन ढुलाई हेतु चार पहिया वाहन के सुगम आवागमन योग्य मार्ग उपलब्ध नही है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि कि 1. जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/ व्यापार स्थल के सत्यापनोंपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। 2. बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 17 में व्यापार स्थल परिवर्तन बाद में भी किये जाने का प्रावधान है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
2	कुमारी सोनम यादव पति–संतोजो बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11 ;पद्ध के अनुसार परिवार की श्रेणी में नही आती है। यादव ग्राम–खैराटी उधो पोस्ट– मठिया	मेधा सूची के क्रमांक 01 पर अंकित कुमारी श्वेता मिश्रा के ससुर, किशमोहन तिवारी, पति–विष्णुशंकर नाथ तिवारी, के भाई के भाई अवध किशोर नाथ तिवारी, पंचायत प्रतिनिधी रह चुके है। उसके बगल में आटा–चक्की है। अमृता कुमारी पति–ओमप्रकाश यादव, जिनका मेधा सूची क्रमांक 02 पर है इनके बगल में ही पैक्स गोदाम है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 के कंडिका 11 (ii) के अनुसार ''मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप मं अपने कार्यकाल तक उचित मुल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित रहेंगें''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के जन–प्रतिनिधि रहने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नहीं है। बगल में पैक्स गोदाम या आटा–चक्की होने से आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नहीं है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्र0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
3	कुमारी सोनम यादव पति–संताष यादव ग्राम–खैराटी उधो पोस्ट– मठिया	मेधा सूची के क्रमांक 03 पर अंकित अभ्यर्थी हुँ। क्रमांक 01 पर अंकित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं अभिलेख के संबंध में निम्न आपतिया है 1–दस्तावेजों की सत्यता एवं कम्प्यूटर प्रमाण पत्र फर्जी होने की प्रबंध संभावना है। 2–विभागीय मानको के अनुरूप गोदाम उपलब्ध नही है। 3– गोदाम तक राशन ढुलाई हेतु चार पहिया माल वाहक वाहन के सुगम आवागमन योग्य मार्ग उपलब्ध नही है। इसकी स्थलीय जॉच कराई जाय।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि – 1. जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/ व्यापार स्थल के सत्यापनोंपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। 2, 3–बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 17 में व्यापार स्थल परिवर्तन बाद में भी किये जाने का प्रावधान है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
4	जनमेजय कुमार यादव, पिता रामअवतार यादव, ग्रा0+पो0+पंचायत सरहरवा।	आवेदिका अमृता कुमारी, पिता ओमप्रकाश यादव, ग्रा0+पो0+पंचायत सरहरवा को दुकान एवं गोदाम के लिए जिस जमीन का उल्लेख किया गया है वह संयुक्त परिवार की सम्पति है। आवेदिका निजी फायदे के लिए पूरी सम्पति पर कब्जा करने के लिए कोशिश कर रही हैं। इसकी जॉच कराई जाए।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 17 में व्यापार स्थल परिवर्तन बाद में भी किये जाने का प्रावधान है। **अतः दावा/आपति अस्वीकृत किया जा सकता है।**	
5	कुमारी अनामिका सिंह, ग्रा0+पो सरहरवा, पंचायत सरहरवा।	आवेदिका अमृता कुमारी, पिता ओमप्रकाश यादव, ग्रा0+पो0+पंचायत सरहरवा को दुकान एवं गोदाम के लिए जिस जमीन का उल्लेख किया गया है वह संयुक्त परिवार की सम्पति है। आवेदिका निजी फायदे के लिए पूरी सम्पति पर कब्जा करने के लिए कोशिश कर रही हैं। इसकी जॉच कराई जाए।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 17 में व्यापार स्थल परिवर्तन बाद में भी किये जाने का प्रावधान है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्र0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
6	कुमारी अनामिका सिंह, ग्रा0+पो सरहरवा, पंचायत सरहरवा।	आवेदिका श्वेता मिश्रा, पति विष्णुशंकर नाथ तिवारी, ग्रा0 खैराटी उधो पो0 मठिया ने दुकान एवं गोदाम के लिए जिस जमीन का उल्लेख किया गया है वह संयुक्त परिवार की सम्पति है। आवेदिका निजी फायदे के लिए पूरी सम्पति पर कब्जा करने के लिए कोशिश कर रही हैं। इसकी जॉच कराई जाए।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 17 में व्यापार स्थल परिवर्तन बाद में भी किये जाने का प्रावधान है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
7	कुमारी अनामिका सिंह, ग्रा0+पो सरहरवा, पंचायत सरहरवा।	आवेदिका कुमारी सोनम यादव, पति संतोष यादव, ग्रा0 खैराटी उधो, पो0 मठिया ने दुकान एवं गोदाम के लिए जिस जमीन का उल्लेख किया गया है वह संयुक्त परिवार की सम्पति है। आवेदिका निजी फायदे के लिए पूरी सम्पति पर कब्जा करने के लिए कोशिश कर रही हैं। इसकी जॉच कराई जाए।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 17 में व्यापार स्थल परिवर्तन बाद में भी किये जाने का प्रावधान है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
8	कुमारी अनामिका सिंह, ग्रा0+पो सरहरवा, पंचायत सरहरवा।	आवेदिका अमृता कुमारी, पिता ओमप्रकाश यादव, ग्रा0+पो0+पंचायत सरहरवा को दुकान एवं गोदाम के लिए जिस जमीन का उल्लेख किया गया है वह संयुक्त परिवार की सम्पति है। आवेदिका निजी फायदे के लिए पूरी सम्पति पर कब्जा करने के लिए कोशिश कर रही हैं। इसकी जॉच कराई जाए।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 17 में व्यापार स्थल परिवर्तन बाद में भी किये जाने का प्रावधान है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्र0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
9	कुमारी अनामिका सिंह, ग्रा0+पो सरहरवा, पंचायत सरहरवा।	आवेदिका श्वेता मिश्रा, पिता ओमप्रकाश यादव, ग्रा0+पो0+पंचायत सरहरवा को दुकान एवं गोदाम के लिए जिस जमीन का उल्लेख किया गया है वह संयुक्त परिवार की सम्पति है। आवेदिका निजी फायदे के लिए पूरी सम्पति पर कब्जा करने के लिए कोशिश कर रही हैं। इसकी जॉच कराई जाए।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 17 में व्यापार स्थल परिवर्तन बाद में भी किये जाने का प्रावधान है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
10	कुमारी अनामिका सिंह, ग्रा0+पो सरहरवा, पंचायत सरहरवा।	आवेदिका कुमारी सोनम यादव, पिता ओमप्रकाश यादव, ग्रा0+पो0+पंचायत सरहरवा को दुकान एवं गोदाम के लिए जिस जमीन का उल्लेख किया गया है वह संयुक्त परिवार की सम्पति है। आवेदिका निजी फायदे के लिए पूरी सम्पति पर कब्जा करने के लिए कोशिश कर रही हैं। इसकी जॉच कराई जाए।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 17 में व्यापार स्थल परिवर्तन बाद में भी किये जाने का प्रावधान है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
11	जनमेजय कुमार यादव, पिता रामअवतार यादव, ग्रा0+पो0+पंचायत सरहरवा।	आवेदिका अमृता कुमारी, पिता ओमप्रकाश यादव, ग्रा0+पो0+पंचायत सरहरवा को दुकान एवं गोदाम के लिए जिस जमीन का उल्लेख किया गया है वह संयुक्त परिवार की सम्पति है। आवेदिका निजी फायदे के लिए पूरी सम्पति पर कब्जा करने के लिए कोशिश कर रही हैं। इसकी जॉच कराई जाए।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 17 में व्यापार स्थल परिवर्तन बाद में भी किये जाने का प्रावधान है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

(सौरभ कुमार)
जिला सहकारिता पदाधिकारी
सिवान।

(चन्दन कुमार)
जिला मत्स्य पदाधिकारी
सिवान।

(अनीता सिन्हा)
अनुमण्डल पदाधिकारी
महाराजगंज।

(आशुतोष गुप्ता)
अनुममण्डल पदाधिकारी
सिवान सदर।

(तनुजा श्री)
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सिवान।

(विजय प्रकाश मीणा)
जिला पदाधिकारी
सिवान।

समाहरणालय, सिवान।

(जिला आपूर्ति शाखा)

नई जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त दावा–आपत्ति के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन

प्रखण्ड–दरौली	पंचायत– बेलॉव	रिक्ति–03 आरक्षण कोटि –अनारक्षित (1) अनु0जाति (1) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला (1)

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	अंजली कुमारी श्रीवास्तव, पति–प्रभाकर कुमार श्रीवास्तव, ग्राम–गंगपलिया जिला–सिवान	क्रमांक 01 एवं 02 क्रमांक के व्यक्तियों के द्वारा गलत तरिके से अपना पहचान छुपाया गया है। क्रमांक 1 और 2 दोनो सगे भाई है। तथा इनकी सगी चाची मालती देवी के नाम से पूर्व में जन वितरण प्रणाली का दुकान है। तथा मालती देवी के पुत्र आर्यन कुमार राय जो वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि कि 1. जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/ व्यापार स्थल के सत्यापनोंपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11 (i) के अनुसार एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मुल्य की दुकान आवंटित नहीं करने का प्रावधान है। परन्तु बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 एवं प्रकाशित विज्ञापन के नियम एवं शर्त्तो में एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों के आवेदन करने पर रोक नहीं है। इनकी चाची मालती देवी के नाम से ज0पि0प्रणाली की दुकान है, जो बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11 (i) के अनुसार परिवार की श्रेणी में नही आती है। उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है। 2. बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 17 में व्यापार स्थल परिवर्तन बाद में भी किये जाने का प्रावधान है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
2	सीमा देवी पति–अजय कुमार राम ग्राम–बेलाव	औपबंधिक मेधा सूची में मेरा मेधा क्रमांक 14 है। जिसमे मुझे सामान्य कोटि में दर्ज किया गया है। जबकि मै अनु0जाति हूँ। मेरा न तो जाति प्रमाण पत्र और न मेरा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर अनु0जाति के अन्तर्गत मेधा सूची नही बनाया गया है। अतः मेरा जाति प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर मेधा सूची प्रकाशित करने की कृपा की जाय।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई जिसमें पाया गया कि आवेदक द्वारा जाति प्रमाण पत्र संलग्न नही होने के कारण सामान्य श्रेणी में रखा गया है। स्नातक का केवल तृतीय सिमेस्टर का अंक पत्र संलग्न है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
3	बिटु कुमारी पति–घनश्याम तिवारी ग्राम+पोस्ट– बेलाव	वरीयता सूची के क्रमांक 01 पर स्थित आवेदिका के0एम0 मानविका रानी स्वयं पैक्स सचिव एवं उनके ससुर पूर्व से ज0वि0प्रणाली की दुकानदार है। और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को विभिन्न प्रकार का सरकारी/गैर सरकारी सेवा में होने के वावजुद भी वरीयता सूची में प्रथम स्थान में रखा गया है। सभी एक ही संयुक्त परिवार के लोग है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11(vi) के अनुसार ''सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के सरकार में लाभ का पद धारण करने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नही है। के0एम0मानविका रानी के स्वर्गीय पति पूर्व में पैक्स सचिव थे। के0एम0 मानविका रानी के ससुर ललनमणि सिंह ज0वि0प्र0 विक्रेता है, जो बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11 (i) के अनुसार परिवार की श्रेणी में आती है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति स्वीकृत किया जाता है।**	
4	अंजली कुमारी श्रीवास्तव, पति प्रभाकर कुमार श्रीवास्तव, ग्रा0 गंगपलिया, पंचायत बेलाव।	क्रमांक–1 एवं 2 पर के व्यक्तियों द्वारा गलत तरीके से अपना पहचान छिपाकर सूची तैयार करवाया गया है एवं दोनों सगे भाई हैं तथा इनकी सगी चाची के नाम पूर्व से जन वितरण की दुकान है जिनके पुत्र पैक्स अध्यक्ष हैं। मैं महिला जीविका से जुड़ी हुई हूँ। जॉच कर कार्रवाई किया जाए।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश--2016 के भाग 2 की कंडिका 11 (i) के अनुसार एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मुल्य की दुकान आवंटित नहीं करने का प्रावधान है। परन्तु बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 एवं प्रकाशित विज्ञापन के नियम एवं शर्त्तो में एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों के आवेदन करने पर रोक नहीं है। इनकी चाची मालती देवी के नाम से ज0पि0प्रणाली की दुकान है एवं मालती देवी के पुत्र पैक्स अध्यक्ष है, जो बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11 (i) के अनुसार परिवार की श्रेणी में नही आती है। आवेदिका के द्वारा व्यक्तिगत रूप से आवेदन दिया गया है, जबकि स्वय सहायता समूह के नाम से अनु0 02 में आवेदन करने पर प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
5	कु0 पुनम राम, पिता मनोज राम, ग्राम–बेलॉव, प्रखण्ड दरौली, जिला सीवान।	ऑनलाईन आवेदन सं0–450 क्रमांक–1 पर अंकित मालती, पति रामसागर पासवान सरकारी नौकरी में है और मेरा आवेदन सं0–1103 क्रमांक–2 पर है। निष्पक्ष तथा विस्तृत जॉच कराई जाए।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्षियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11(vi) के अनुसार "सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी"। परिवार के किसी अन्य सदस्य के सरकार में लाभ का पद धारण करने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नही है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
6	राजनंदनी कुमारी, पिता सत्य नारायण ठाकुर, पंचायत बेलॉव।	क्रमांक–37 पर मुझे सामान्य कोटि में दर्ज किया गया है जबकि मेरा अनुसूचित अत्यन्त पिछडा जाति के अन्तर्गत आती हूँ वो न तो मेरा उसमें जाति, निवास, चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर मेरा मेधा सूची नहीं बनाया गया है इसकी जॉच कराई जाए।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई जिसमें पाया गया कि आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण–पत्र, जाति एवं निवास प्रमाण–पत्र संलग्न नही है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

(सौरभ कुमार)
जिला सहकारिता पदाधिकारी
सिवान।

(चन्दन कुमार)
जिला मत्स्य पदाधिकारी
सिवान।

(अनीता सिन्हा)
अनुमण्डल पदाधिकारी
महाराजगंज।

(आशुतोष गुप्ता)
अनुममण्डल पदाधिकारी
सिवान सदर।

(तनुजा श्री)
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सिवान।

(विजय प्रकाश मीणा)
जिला पदाधिकारी
सिवान।

समाहरणालय, सिवान।

(जिला आपूर्ति शाखा)

नई जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त दावा–आपत्ति के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन

प्रखण्ड–दरौली	पंचायत–हरनाटार	रिक्ति–02	आरक्षण कोटि – अनारक्षित महिला(1) अनु0जाति0(1)

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	कुमारी रागनी यादव, पति–शत्रुध्न कुमार यादव ग्राम–नोनिया टोला	ऑनलाईन आवेदन के समय पोर्टल पर प्रत्येक दस्तावेज अपलोड करने की अधिकतम सीमा 200 के0वी0 निर्धारित थी, जिसके कारण मेरे स्नातकोत्तर के सभी सिमेस्टरों के अंक पत्र ऑनलाईन अपलोड नही हो सकें परिणाम स्वरूप प्रकाशित प्रारंभिक मेधा सूची में मेरे नाम के समक्ष स्नातकोत्तर का सिर्फ चौथे सेमिस्टर का अंक पत्र सलग्न अंकित किया गया है जिससे मेरी शैक्षणिक योग्यता का मुल्याकंन नही हो सका।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई जिसमें पाया गया कि आवेदक द्वारा स्नातकोत्तर उर्तीण का सिर्फ चौथे सेमिस्टर का अंक पत्र अपलोड किया गया है जिसके कारण उनके स्नातकोत्तर के प्राप्तांक का मुल्यांकन नही हो पाया। अलग से कागजात जमा करने का प्रावधान नही है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
2	तनुजा सिंह पति–राजु सिंह	औपबंधिक सूची के क्रम संख्या–01 पर आवेदन संख्या 515 नेहा कुमारी के परिवार में इनकी सास इन्दु देवी हरनाटार पंचायत में वर्तमान मे मुखिया है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 के कंडिका 11 (ii) के अनुसार ''मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप मं अपने कार्यकाल तक उचित मुल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित रहेंगें''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के जन–प्रतिनिधि रहने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नहीं है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
3	निक्की कुमारी पति–मुकेश सिंह ग्राम–मुड़ाखाप	1– मेरे पंचायत में वरीयता क्रमांक 01 से 08 तक के सभी आवेदकों के पास और उनके परिवार के अन्य सदस्यों का विभिन्न प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी सेवा में तथा अन्य कोई अनुज्ञप्ति/पतिनिधि होने के वावजुद भी वरीयता सूचि में उच्च स्थान दिया गया है। वरीयता सूची में मेरा क्रमांक 09 है जबकि मेरे अंक पत्र के अनुसार कुल अंक 1500 में प्राप्तांक 914 है जो 60.93 प्रतिशत होता है किन्तु त्रुटिवश वरीयता सूची में कुल अंक 1800 में 914 और 50.78 प्रतिशत दर्शाया गया है।– 2– नेहा कुमारी के सासु मॉ हरनाटार पंचायत के वर्तमान मुखिया है। 3– तनुजा सिंह के पति गैर सरकारी लैब का अनुज्ञप्ति एवं डॉक्टर है। 4– शबनम परवीन के परिवार में पूर्व से ज0वि0प्र0 की दुकान है। 5– संगीता देवी के पति बी0पी0एस0सी0 शिक्षक है। 6– निर्मला यादव के परिवार में गैस एजेंसी एवं दवा थोक विक्रेता का अनुज्ञप्ति है। 7– रागनी यादव के पति कन्ट्रेक्टर है। 8– रेमी कुमारी के पति संजय कुमार बी0पी0एस0सी0 शिक्षक है। 9– सुमन कुमारी सिंह के परिवार में खाद्य बीज एवं पी0डी0एस0 का अनुज्ञप्ति है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि – 1–औपबंधिक मेघा सूची में टंकणीय भूल वश आवेदक का कुल अंक–1500 के जगह 1800 अंकित हो गया है। अंतिम मेधा सूची में आवेदक के कुल अंक में उक्त सुधार करते हुए मेघा क्रमांक का पुनर्निर्धारण किया जाए। आवेदक का वास्तविक प्राप्तांक प्रतिशत निम्नवत् है। प्राप्तांक–914, कुल अंक–1500, प्रतिशत–60.93 है। 2–बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 के कंडिका 11 (ii) के अनुसार ''मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप मं अपने कार्यकाल तक उचित मुल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित रहेंगें''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के जन–प्रतिनिधि रहने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नहीं है। 3– बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 में पति के गैर सरकारी लैव का अनुज्ञप्ति एवं डॉक्टर होने से ज0वि0प्र0 अनुज्ञप्ति से निरर्हित करने का कोई प्रावधान नहीं है। 4–शबनम परवीन के चाचा पूर्व से ज0वि0प्र0 के विक्रेता है जो बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11 (i) के अनुसार परिवार की श्रेणी में नही आते है। 5–बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11(vi) के अनुसार ''सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के सरकार में लाभ का पद धारण करने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नही है। 6– बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 में परिवार में गैस एजेन्सी तथा दवा थोक विक्रेता का अनुज्ञप्ति होने से ज0वि0प्र0 अनुज्ञप्ति से निरर्हित करने का कोई प्रावधान नहीं है। 7–बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 में पति के कन्ट्रेक्टर होने से ज0वि0प्र0 अनुज्ञप्ति से निरर्हित करने का कोई प्रावधान नहीं है। 8–बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11(vi) के अनुसार ''सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के सरकार में लाभ का पद धारण करने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नही है। 9– सुमन कुमारी सिंह के चचेरे ससुर दिनेश सिंह के नाम से ज0पि0प्रणाली की दुकान है, जो बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11 (i) के अनुसार परिवार की श्रेणी में नही आते है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति क्रमांक 01 स्वीकृत एवं क्रमांक 2 से 9 तक अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
4	मनीषा सिंह पिता–लालबाबु सिंह ग्राम–मुड़ा कर्मवार	1– औपबंधिक मेधा सूचि क्रमांक 11 पर अंकित अभ्यर्थी हुँ मेरा प्राप्तांक, कुल अंक और प्रतिशत नही दर्शाया गया है जबकि क्रमांक 01 पर अंकित नेहा कुमारी का कुल अंक नही दर्शाया गया है फिर भी 72.40 प्रतिशत है। 2– मुड़ा कर्मवार और खैराटी के लोगो को तीन–चार कि0मी0 चलकर हरनाटार जाना पड़ता है। 3–क्रमांक 01 पर अंकित नेहा कुमारी की सास इंदु देवी हरनाटार पंचायत की वर्तमान मुखिया है और इनके घर पर आटा चक्की है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि – 1–आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई जिसमें पाया गया कि आवेदक द्वारा स्नातक का अपूर्ण अंक पत्र संलग्न किया गया है जिसमें प्राप्तांक स्पष्ट नही है। 2– बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 17 में व्यापार स्थल परिवर्तन बाद में भी किये जाने का प्रावधान है। 3– बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 के कंडिका 11 (ii) के अनुसार ''मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप मे अपने कार्यकाल तक उचित मुल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित रहेंगें''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के जन–प्रतिनिधि रहने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नहीं है। स्थलीय जॉच के क्रम में नेहा कुमारी के यहॉ जाँच के दिन आटा–चक्की नही पाया गया। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
5	तनुजा सिंह पति–राजु सिंह गाम–मुड़ा कर्मकार	क्रमांक 01 पर अंकित अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के साथ संलग्न कम्प्यूटर प्रमाण पत्र फर्जी होने की आशंका है। इनके परिवार के पास पहले से ही आटा चक्की चल रही है। ग्राम हरनाटार में पहले से ही एक ज0वि0प्र0 विक्रेता है जबकि मुड़ा कर्मचार एवं खैराटी में एक भी विक्रेता नही हैं। नेहा कुमारी मुझसे उम्र में छोटी है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/ व्यापार स्थल के सत्यापनोंपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। स्थलीय जॉच के क्रम में नेहा कुमारी के यहॉ जाँच के दिन आटा–चक्की नही पाया गया। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
6	संगीता कुमारी पति–जयपाल सिंह ग्राम–मुड़ा खाप	प्रकाशित चयन सूची में नेहा कुमारी को प्रथम स्थान पर रखा गया है, उनकी सास सम्बंधित पंचायत की निर्वाचीत मुखिया है एवं उनका परिवार आटा चक्की का संचालन करता है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 के कंडिका 11 (ii) के अनुसार ''मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप मं अपने कार्यकाल तक उचित मुल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित रहेंगें''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के जन–प्रतिनिधि रहने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नहीं है। स्थलीय जॉच के क्रम में नेहा कुमारी के यहॉ जाँच के दिन आटा–चक्की नही पाया गया। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
7	संगीता कुमारी, पति जयपाल सिंह, ग्रा0+पो0 मुड़ा खाप, प्रखण्ड दरौली।	ऑनलाईन आवेदन में मेरे द्वारा दो विषय के स्नातकोतर का प्रमाण पत्र अपलोड किया था परन्तु गणित विषय का अंक नहीं जोड़ने के कारण मेरा क्रमांक–4 पर चला गया। अगर मेरे गणित विषय का अंक जोड़ दिया जाए तो क्रमांक–2 पर रहेगा। इसकी जॉच कराई जाए।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई जिसमें पाया गया कि आवेदक द्वारा स्नातकोत्तर (रसायन विज्ञान) उर्तीण का अंक पत्र अपलोड किया गया है जिसके आधार पर उनके स्नातकोत्तर के प्राप्तांक का मुल्यांकन किया गया है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

(सौरभ कुमार)
जिला सहकारिता पदाधिकारी
सिवान।

(चन्दन कुमार)
जिला मत्स्य पदाधिकारी
सिवान।

(अनीता सिन्हा)
अनुमण्डल पदाधिकारी
महाराजगंज।

(आशुतोष गुप्ता)
अनुममण्डल पदाधिकारी
सिवान सदर।

(तनुजा श्री)
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सिवान।

(विजय प्रकाश मीणा)
जिला पदाधिकारी
सिवान।

समाहरणालय, सिवान।

(जिला आपूर्ति शाखा)

नई जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त दावा–आपत्ति के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन

प्रखण्ड–दरौली	पंचायत–सरना	रिक्ति–02	आरक्षण कोटि – अनारक्षित(1) अ0पि0वर्ग (1)	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	शिबु कुमारी ग्राम+पोस्ट–बलुआ मठिया पो0–मठिया थाना–दरौली	मैने सार्वजनिक वितरण की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया है उपर के चार अभ्यर्थी है उन सभी ने कम्प्यूटर प्रमाण पत्र फर्जी है, तथा उनहे कम्प्यूटर का कोई ज्ञान नही है इसकी भौतिक जॉच होनी चाहिए, क्रमांक 1,2,4 ने भी अभ्यर्थी ने अपना पारिवारिक विवरण छिपाया है जैसे घर मे लाभ का पद, मोटरयान पंचायत प्रतिनिधि इत्यादि किए है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/ व्यापार स्थल के सत्यापनोंपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 के कंडिका 11 (ii) के अनुसार ''मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मुल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित रहेंगें''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के जन–प्रतिनिधि रहने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नहीं है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
2	अर्चना कुमारी पति–त्रिभुवन सिंह ग्राम–सागर राय के टोला	वरीयता सूची के क्रमाक 01 पर स्थित आवेदिका पिंकी कुमारी के सासु मॉ पूर्व से ऑगनबाड़ी सेविका है और उनके परिवार के अन्य सदस्य सरकारी/गैरसरकारी सेवा वाले सदस्यों की स्थिति को जॉच करते हुए मुझे अनुज्ञप्ति देने की कृपा की जाये।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11(vi) के अनुसार ''सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के सरकार में लाभ का पद धारण करने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नही है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
3	कमलेश मांझी पिता–गुलाबचंद मांझी ग्राम–पटखौली पोस्ट–गौरी	हमारे पंचायत में अनु0जाति एवं जनजाति के परिवारों की संख्या लगभग 664 है लेकिन पंचायत में अनु0जाति एवं जनजाति के लिए एक भी जन वितरण प्रणाली की दुकान के लिए आरक्षण नही है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 7 के अनुसार ''आरक्षण का मानक अनुमण्डल स्तर पर लागु होगा तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत आर्दश आरक्षण रोस्टर बिन्दु लागु होगा''। उक्त के आलोक में अनु0जाति एव जन जाति को आरक्षण दिया गया है। पंचायतवार आरक्षण का प्रावधान नही है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
4	शिबु कुमारी ग्राम+पोस्ट–बलुआ मठिया पो0–मठिया थाना–दरौली	मैने सार्वजनिक वितरण की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया है उपर के चार अभ्यर्थी है उन सभी ने कम्प्यूटर प्रमाण पत्र फर्जी है, तथा उनहे कम्प्यूटर का कोई ज्ञान नही है इसकी भौतिक जॉच होनी चाहिए, क्रमांक 1,2,4 ने भी अभ्यर्थी ने अपना पारिवारिक विवरण छिपाया है जैसे घर मे लाभ का पद, मोटरयान पंचायत प्रतिनिधि इत्यादि किए है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/ व्यापार स्थल के सत्यापनोंपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
5	सलमान अंसारी, पिता अनवर अली, ग्रा0 विश्वनिया, पंचायत सरना, प्रखण्ड दरौली।	क्रमांक–01, ऑनलाईन आवेदन सं0–1297 पर अंकित बलिराम प्रसाद खरवार के द्वारा जाति की श्रेणी/वर्ग गलत अंकित किया गया है एवं इनकी पत्नी शुभावती देवी, आंगनबाड़ी सेविका है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि अंचलाधिकारी, दरौली द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बलिराम प्रसाद खरवार अत्यत्त पिछड़ा वर्ग के है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11(vi) के अनुसार ''सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के सरकार में लाभ का पद धारण करने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नही है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
6	कुमारी आरती सिंह, ग्रा0+पो0 विश्वनिया, प्रखण्ड दरौली।	कई अभ्यर्थियों के द्वारा फर्जी प्रमाण–पत्र लगाकर मेधा अंक को सर्वोच्च कर लिया गया है तथा जो भी कम्प्यूटर का प्रमाण पत्र लगाये गए हैं वो प्रमाणिक नहीं हैं व न हीं अभ्यर्थियों के पास कम्प्यूटर का कोई अपेक्षित अनुभव है। सभी के प्रमाणिकता की जॉच करते हुए हीं उन्हें अनुज्ञप्ति सौंपी जाए।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/ व्यापार स्थल के सत्यापनोंपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
7	शिबु कुमारी, पति विपिन बिहारी कुशवाहा, ग्रा0 सरना बलुआ मठिया, प्रखण्ड दरौली।	पिंकी कुमारी सिंह, पति अतुल कुमार सिंह, ऑनलाईन सं0–414 है इनकी सासु मॉ ऑगनबाड़ी सेविका हैं तथा इनके धर में पैक्स अध्यक्ष हैं और हार्डवेयर का दुकान भी है। अर्चना कुमारी, पति त्रिभुवन सिंह के ससुर पूर्व में डीलर रह चुके हैं एवं वर्तमान में पेंशन का लाभ ले रहें हैं इनके देवर आर्मी में हैं तथा इनका सी0एस0पी0 चलता है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11(vi) के अनुसार ''सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के सरकार में लाभ का पद धारण करने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नही है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

(सौरभ कुमार)
जिला सहकारिता पदाधिकारी
सिवान।

(चन्दन कुमार)
जिला मत्स्य पदाधिकारी
सिवान।

(अनीता सिन्हा)
अनुमण्डल पदाधिकारी
महाराजगंज।

(आशुतोष गुप्ता)
अनुममण्डल पदाधिकारी
सिवान सदर।

(तनुजा श्री)
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सिवान।

(विजय प्रकाश मीणा)
जिला पदाधिकारी
सिवान।

समाहरणालय, सिवान।

(जिला आपूर्ति शाखा)

नई जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त दावा–आपत्ति के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन

प्रखण्ड–दरौली	पंचायत–कुम्हटी भिटौली	रिक्ति–01 आरक्षण कोटि – अनु0जाति महिला (1)	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	सुनिता कुमारी पिता/पति–अतुल कुमार गोड ग्राम-- अगसरा, पोस्ट-- सरैया रामपुर पंचायत–कुम्हटी भिटौली जिला–सिवान।	1–औपबंधिक मेघा सूची के प्रथम स्थान पर अंकित दिव्या ज्योति पति–अरूण कुमार, ग्राम–सोनबरसा, पोस्ट– रामपुर सराय एक ही पद पर पंचायत में दो आवेदन समर्पित किया गया है, आवेदक एवं आवेदिका का परिवार यहॉ कई वर्षो से नही रह रहे है। 2– द्वितीय स्थान पर अंकित आवेदिका कुमकुम कुमारी जौजे रामनाथ गोड़, ग्राम–कसीहारी का विवाह उत्तर प्रदेश में हुआ है एवं उनके द्वारा गलत तरिके से जाति, निवास, आय एवं चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किया गया है। तथा कुमकुम कुमारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश मे रहती है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के द्वाराअनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/ व्यापार स्थल के सत्यापनोंपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 के कंडिका 11 (पप) के अनुसार ''मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिष्षद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्ष्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मुल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित रहेंगें''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के जन–प्रतिनिधि रहने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नहीं है। उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि – 1–प्रकाशित विज्ञापन के नोट–07 के अनुसार ''एक से अधिक पंचायत के लिए आवेदन करने पर आवेदक के सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा''। एक ही पंचायत के लिए एक से अधिक आवेदन करना निरर्हता का आधार नही है। 2–जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/ व्यापार स्थल के सत्यापनोंपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

(सोरभ कुमार)
जिला सहकारिता पदाधिकारी
सिवान।

(चन्दन कुमार)
जिला मत्स्य पदाधिकारी
सिवान।

(अनीता सिन्हा)
अनुमण्डल पदाधिकारी
महाराजगंज।

(आशुतोष गुप्ता)
अनुममण्डल पदाधिकारी
सिवान सदर।

(तनुजा श्री)
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सिवान।

(विजय प्रकाश मीणा)
जिला पदाधिकारी
सिवान।

समाहरणालय, सिवान।

(जिला आपूर्ति शाखा)

नई जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त दावा–आपत्ति के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन

प्रखण्ड–दरौली	पंचायत–कृष्णपाली	रिक्ति–02	आरक्षण कोटि – अनारक्षित(1) अ0पि0वर्ग(1)	

क्र0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	ऋतिक सिंह, पिता–सरोज सिंह, ग्राम–मुड़ा मझौवा, जिला–सिवान	1– सार्वजनिक वितरण प्रणाली नया अनुज्ञप्ति हेतु सामान्य कोटि में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अरूण यादव, पिता–ललन यादव ग्राम–कृष्णपाली को चयनित किया गया है। जबकि चयनित अभ्यर्थी कृष्णपाली में नही है। जॉच के दिन तक विदेश में थे। जिसकी जॉच किये जाने एवं गोदाम की भी उचित व्यवस्था नही है। 2–मेरे द्वारा अपना शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, गोदाम के जमीन का रसीद एवं चरित्र प्रमाण पत्र दिया है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि – 1–जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/ व्यापार स्थल के सत्यापनोपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 17 के तहत गोदाम का स्थल परिवर्तन किया जा सकता है। 2–आवेदक के दावा/अपत्ति की जॉच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई जिसमें पाया गया कि आवेदक द्वारा निवास प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न नही है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
2	अजीमा खातुन पति–प्रवेज आलम अंसारी ग्राम+पोस्ट–कृष्णपाली	रोहित कुमार पिता–सुन्दरीक गुप्ता का दिव्यांग प्रमाण पत्र संदिग्ध है इनका गोदाम काफी अन्दर है जो बिहार सरकार की भूमि है। श्री सुरज कुमार शर्मा वर्तमान में मुम्बई में रहते है। इनका गोदाम मुहल्ला के अन्दर में है जहॉ एक बाईक भी नही जा सकता, कम्प्यूटर ज्ञान के प्रमाण पत्र के जॉच की भी आवश्यकता है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/ व्यापार स्थल के सत्यापनोपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 17 के तहत गोदाम का स्थल परिवर्तन किया जा सकता है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
3	अजीमा खातुन, पति परवेज आलम अंसारी, पंचायत कृष्णपाली, प्रखण्ड दरौली।	1–प्रदर्शित अ0पि0व0 कोटि की सूची क्रमांक–16 पर अंकित रोहित कुमार, पिता सुन्दरीक गुप्ता, ग्रा0+पो0 कृष्णपाली, प्रखण्ड दरौली के द्वारा दिव्यांग का प्रमाण पत्र संदिग्ध है एवं उनका गलत तरिके से दिव्यांग श्रेणी में रखा गया है। चूँकि उनका उम्र 24 वर्ष है और आँख की दृष्टि अच्छी है। इनकी योग्यता इण्टर पास है तथा कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र निजी किसी संस्था से लिए है। 2–सूची के क्रमांक–17 पर अंकित श्री सुरज कुमार शर्मा, पिता सतेन्द्र शर्मा, ग्रा0 मुड़ा मझौवा, प्रखण्ड दरौली वर्तमान में मुम्बई रहते हैं एवं इनका गोदाम मुहल्ला के अन्दर में है जहाँ पर कोई छोटा वाहन भी नहीं जा सकता है जिसका स्थल निरीक्षण तथा इनके कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण–पत्र निजी संस्था का है जिसकी जाँच भी आवश्यक है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि – 1– आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई। अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/ व्यापार स्थल के सत्यापनोंपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। 2– जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/ व्यापार स्थल के सत्यापनोंपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 17 के तहत गोदाम का स्थल परिवर्तन किया जा सकता है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति क्रमांक 01 एवं 02 अस्वीकृत किया जाता है।**	

(सौरभ कुमार)
जिला सहकारिता पदाधिकारी
सिवान।

12.11.26
(चन्दन कुमार)
जिला मत्स्य पदाधिकारी
सिवान।

12/11/26
(अनीता सिन्हा)
अनुमण्डल पदाधिकारी
महाराजगंज।

12/11/26
(आशुतोष गुप्ता)
अनुममण्डल पदाधिकारी
सिवान सदर।

12/11/26
(तनुजा श्री)
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सिवान।

12/11/26
(विजय प्रकाश मीणा)
जिला पदाधिकारी
सिवान।

समाहरणालय, सिवान।

(जिला आपूर्ति शाखा)

नई जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त दावा–आपत्ति के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन

प्रखण्ड–दरौली	बलहुँ	रिक्ति – 3	आरक्षण कोटि– अनारक्षित(1) अनु0जाति महिला(1) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(1)

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	कुमारी रीना ठाकुर पति/पिता–उपेन्द्र कुमार ठाकुर ग्राम+पोस्ट–बलहुँ	डीलर ऑनलाईन के समय मेरा छः सेमिस्टर का परीक्षा नही हुआ था। मई में परीक्षा हुआ है। अब छः सेमिस्टर का रिजल्ट मिला छः सेमिस्टर का रिजल्ट जोड़ दिया जाय।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के द्वाराअनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रकाशित विज्ञापन के नोट–13 में स्पष्ट उल्लिखित है कि "आवेदक दिनांक–16.03.2026 से दिनांक–04.04.2026 तक सभी शैक्षणिक योग्यता/अन्य प्रमाण–पत्रों की प्रति आवेदन के साथ जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर ऑनलाईन समर्पित करेंगे। अलग से कोई भी कागजात अपलोड करने का प्रावधान नही है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
2	रितिका सिंह पिता/पति–नवीन कुमार सिंह ग्राम– रामनगर, पंचायत–बलहुँ जिला–सिवान।	निर्गत औपबंधिक सूची में मेरा नाम क्रमांक 7 पर अंकित है । इस सूची में में मेरे मेधा अंक की गणना केवल स्नातक के आधार पर की गई है। आवेदन जमा करते समय स्नातकोत्तर की डिग्री और अंक पत्र भी संलग्न किया था। एम0कॉम की डिग्री न जुड़ने के कारण मेरा मेधा क्रमांक प्रभावित हुआ है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई जिसमें पाया गया कि आवेदक द्वारा शैक्षणिक योग्यता से संबंधित स्नातकोत्तर का अंक पत्र या प्रमाण पत्र संलग्न नही है। अलग से कोई भी कागजात अपलोड करने का प्रावधान नही है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
3	रौशन तारा खातुन ग्रा0+पो0–गौरी पंचायत–बलहुँ थाना–दरौली	मैने सार्वजनिक वितरण की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया है मेरे उपर जिन आवेदकों का नाम है, उन सभी के द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया है, तथा उन सभी की कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र भी पुरी तरह फर्जी है। किसी भी अभ्यर्थी का कम्प्यूटर का पूर्ण ज्ञान नही है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/ व्यापार स्थल के सत्यापनोंपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
4	समीमा खातुन पति–जावेन अंसारी ग्राम+पोस्ट–गैरी	कम्प्यूटर प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र भूलवश अपलोड नही हो पाया जिसको सम्मिलत करने की अभियाचना करती हॅ।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रकाशित विज्ञापन के नोट–13 में स्पष्ट उल्लिखित है कि "आवेदक दिनांक–16.03.2026 से दिनांक–04.04.2026 तक सभी शैक्षणिक योग्यता/अन्य प्रमाण–पत्रों की प्रति आवेदन के साथ जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर ऑनलाईन समर्पित करेंगे। प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा।" विज्ञापन के नोट– 13 के आलोक में अलग से कोई भी कागजात अपलोड करने का प्रावधान नही है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
5	रौशन तारा खातुन ग्राम+पोस्ट–गौरी	औपबंधिक मेधा क्रमांक में मेरे उपर जिन आवेदकों का नाम है उन सभी के द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया है जिसकी जॉच होनी चाहिए।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/ व्यापार स्थल के सत्यापनोंपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
6	प्रतिमा कुमारी पति–सुरेन्द्र यादव ग्राम–डीहु टोला पोस्ट–बलहुँ	मेरा मेधा क्रम के पॉचवा स्थान पर है, मै एक गरीब निसहाय, शिक्षित बेराजगार महिला हुँ। मै जीविका समुह में रहती हुँ मुझे प्राथमिकता दी जाय।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 09 (v) के आलोक में औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है, जिसके अनुसार नई अनुज्ञप्ति दी जानी है। जीविका समुह के सदस्य को प्राथमिकता देने का प्रावधान नही है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

(सलिम कुमार)
जिला सहकारिता पदाधिकारी
सिवान।

(चन्दन कुमार)
जिला मत्स्य पदाधिकारी
सिवान।

(अनीता सिन्हा)
अनुमण्डल पदाधिकारी
महाराजगंज।

(आशुतोष गुप्ता)
अनुममण्डल पदाधिकारी
सिवान सदर।

(तनुजा श्री)
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सिवान।

(विजय प्रकाश मीणा)
जिला पदाधिकारी
सिवान।

समाहरणालय, सिवान।

(जिला आपूर्ति शाखा)

नई जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त दावा–आपत्ति के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन

प्रखण्ड–दरौली	पंचायत–डुमरहर बुजुर्ग	रिक्ति–02	आरक्षण कोटि – अनारक्षित (1) अनु0जाति (1)

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	सुरेश कुमार गुप्ता पिता–दरवारी गुप्ता ग्राम–उकरेरी, पोस्ट– केटवलिया	औपबंधिक मेधा सूचि में अस्वीकृत आवेदकों की सूची क्रमांक 26 एवं आवेदन क्रमांक 13 के अभियुक्ति के शैक्षणिक योग्यता से संबधित प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है , दर्शाया गया है। जबकि ऑनलाईन आवेदन के क्रम में मेरे द्वारा सभी दस्तावेजों का संलग्न किया गया है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 सेप्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई जिसमें पाया गया कि आवेदक द्वारा शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न नही है। सिर्फ कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र अपलोड है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	
2	रामजन्म यादव ग्राम+पोस्ट– डुमरहर खुर्द	डीलर ऑनलाईन आवेदन संख्या 446 के लिस्ट मे आवेदक का स्नातक और कम्प्यूटर का मार्कशीट टेकनिकल कारण से अपलोड नही हुआ है। लिस्ट में त्रुटि कर मेरा मार्कस डाला जाय।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रकाशित विज्ञापन के नोट–13 में स्पष्ट उल्लिखित है कि "आवेदक दिनांक–16.03.2026 से दिनांक–04.04.2026 तक सभी शैक्षणिक योग्यता/अन्य प्रमाण–पत्रों की प्रति आवेदन के साथ जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर ऑनलाईन समर्पित करेंगे। प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा।" अलग से मार्कशीट अपलोड करने का प्रावधान नही है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं०	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
3	कृष्ण कुमार कुशवाहा पिता–बिन्देश्वरी कुशवाहा ग्राम+पोस्ट– डुमरहर खुर्द	1–अमित कुमार मिश्रा, के घर तक चार पहिया वाहन नही जा सकता। डुमरहर बुजुर्ग में दिव्यांग कोटि का सीट नही है। जबकि उन्हे दिव्यांग कोटि को आरक्षण दिखाया गया है। 2– सुनिल कुमार राम के आवास तक चार पहिया वाहन नही जा सकता है और इनके यहॉ आटा–चक्की मशीन है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि – 1– आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई । अमित कुमार मिश्रा का रोस्टर क्रमांक 1159 है जो चंलत दिव्यांगता श्रेणी के आवेदक को दिया जाना है। लेकिन चंलत दिव्याग्ता श्रेणी में एक ही रिक्ति है जो पूर्व से रोस्टर क्रमांक 1168 के आवेदक जो योग्यता में अमित कुमार मिश्रा से उपर है, उनको अनुशंसित है। अतः अंतिम मेधा सूची में सुधार करते हुए अमित कुमार मिश्रा कों उनके मूल वरियता क्रम पर रखा जाये। 2– अनुमण्डल पदाधिकारी, सिवान सदर के ज्ञापांक 3376 दिनांक 14.10.026 से संयुक्त जाँच कराते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि '' आवदेक (सुनिल कुमार राम) के व्यापर स्थल के पूरब में सड़क स्थित है। जाँच के दौरान प्रस्तावित व्यापर स्थल पर जमीन पर आटा–चक्की का इंजन रखने वाला लकड़ी का प्लेट फॉर्म पाया गया। तत्पश्चात विवेक राम, पिता– अनिल राम, ग्राम– डुमरहर बुजुर्ग, प्रखण्ड– दरौली, सिवान द्वारा लिखित बयान दिया गया कि यहाँ जो आटा–चक्की चलता था उसका मालिक मै हूँ और मेरे निगरानी में यह आटा चक्की चलता था, सुनील राम मेरे चाचा है। हम और मेरे चाचा अलग– अलग रहते है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11(iii) के अनुसार ''आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी''। **उक्त के आलोक में दावा/आपति स्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
4	लालबाबु कुमार राम पिता–रामप्रवेश राम, ग्राम–डुमरहर बुजुर्ग जिला–सिवान	1–सार्वजनिक वितरण प्रणाली नया अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया हुँ सुनिल कुमार राम मेधा सूची के क्रम संख्या–2 पर है परन्तु अनु0जाति के अन्तर्गत क्रम सं0–1 पर है। आवेदन दाखिल करने की तिथि तक सुनिल कुमार राम का कुटीर उधोग के तौर पर आटा चक्की चलता रहा परन्तु आवेदन दाखिल करने के बाद आटा चक्की चलाना बन्द कर दिया तथा चक्की खोलकर रख दिया है। सुनिल कुमार राम प्रखण्ड दरौली में मास्टर ट्रेनर है जो एक लाभ का पद है, ग्राम पंचायत राज डुमरहर बुजुर्ग के स्वच्छता सुपरवाईजर का काम करते है। 2–गोपाल राम मेधा सूची के क्रम संख्या–09 पर है परन्तु अनु0जाति के सूची में क्रम संख्या–02 पर है गोपाल राम की पत्नी नितू देवी आंगनबाड़ी सेविका है जो सरकारी सेवा में है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि– 1– स्थलीय जॉच के क्रम में आटा–चक्की नही पाया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरौली का पत्रांक–1328, दिनांक–22.08.2026 द्वारा संसूचित है कि सुनिल कुमार राम की नियुक्ति लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के प्रथम चरण अन्तर्गत 2017 में स्वच्छताग्राही के रूप में किया गया था, जो 2019–20 में समाप्त हो चुका है। वर्तमान समय में सुनिल कुमार राम अपने पंचायत में स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त/कार्यरत नही है और ना ही स्वच्छता कर्मी है। 2. अनुमण्डल पदाधिकारी, सिवान सदर के ज्ञापांक 3376 दिनांक 14.10.026 से संयुक्त जाँच कराते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि '' आवदेक (सुनिल कुमार राम) के व्यापर स्थल के पूरब में सड़क स्थित है। जाँच के दौरान प्रस्तावित व्यापर स्थल पर जमीन पर आटा–चक्की का इंजन रखने वाला लकड़ी का प्लेट फॉर्म पाया गया। तत्पश्चात विवेक राम, पिता– अनिल राम, ग्राम– डुमरहर बुजुर्ग, प्रखण्ड– दरौली, सिवान द्वारा लिखित बयान दिया गया कि यहाँ जो आटा–चक्की चलता था उसका मालिक मै हूँ और मेरे निगरानी में यह आटा चक्की चलता था, सुनील राम मेरे चाचा है। हम और मेरे चाचा अलग– अलग रहते है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11(iii) के अनुसार ''आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी''। 3–बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11(vi के अनुसार ''सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी''। परिवार के किसी अन्य सदस्य के सरकार में लाभ का पद धारण करने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नही है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति संख्या– 01 एवं 03 अस्वीकृत तथा 02 स्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
5	सुनील कुमार राम पिता–गुनराज राम ग्राम+पोस्ट–डुमरहर बुजुर्ग	मेरा नाम अनु0जाति के लिस्ट में एक पर अंकित है परन्तु अंक प्रमाण पत्र संलग्न नही है। अतः अंक प्रमाण संलग्न किया जाय।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई जिसमें पाया गया कि आवेदक द्वारा स्नातकोत्तर उर्तीण का सिर्फ पमाण पत्र अपलोड किया गया है। अलग से मार्कशीट अपलोड करने का प्रावधान नही है। उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।	
6	अश्विनी कुमार मिश्रा पिता–बृज किशोर मिश्रा ग्राम+पो0–डुमरहर खुर्द	प्रकाशित सूचि में उल्लेख है मै स्नातक का सिर्फ Vth सिमिस्टर का अंक पत्र संलग्न है भूलवश मेरा अंतिम वर्ष का अंक पत्र छुट गया है जिसे संलग्न कर दे रहा हुॅ।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रकाशित विज्ञापन के नोट–13 में स्पष्ट उल्लिखित है कि आवेदक दिनांक–16.03.2026 से दिनांक–04.04.2026 तक सभी शैक्षणिक योग्यता/अन्य प्रमाण–पत्रों की प्रति आवेदन के साथ जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर ऑनलाईन समर्पित करेंगे। जिसमें आवेदक के द्वारा स्नातक का सिर्फ Vth सिमिस्टर का अंक पत्र संलग्न है। अलग से कोई भी कागजात अपलोड करने का प्रावधान नही है। उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
7	गौरव राय पिता–रविन्द्र राय ग्राम+पोस्ट– डुमरहर	मेरे द्वारा किये गये आवेदन संख्या–1038 है, औपबंधिक सूची में क्रमांक 10 पर अंकित है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि स्नातक का अंक पत्र संलग्न नही है कृपया विदित हो कि भुलवश मै अपना स्नातक का अंक पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न इस पत्र के साथ कर समर्पित कर रहा हुँ। 1– क्रमांक 01 पर अंकित अमित कु0 मिश्रा पिता– रामछबिला मिश्रा जो दिव्यांग का 50 प्रतिशत का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है जबकि शारिरिक स्तर से ये दिव्यांग नही है इनका चिकितसिय कमिटी का गठन कर अपने स्तर से शारिरिक जॉच किया जाय। इनके पास दो कम्पाईन एवं 2 ट्रैक्टर है जिसे इनके द्वारा चालक का कार्य किया जाता है। आई0टी0आर0 भी जमा किया जाता है। इनके पिता पेंशन भोगी है एवं भाई अर्द्धसैनिक बल में कार्यरत है। 2– क्रमांक 03 एवं 04 पर अंकित नाम कृष्णा कुशवाहा पिता विन्देश्वरी प्रसाद जो एक ही पंचायत में दो आवेदन समर्पित किया गया तथा इनके परिवार में पूर्व से हि ज0वि0प्र0 का दुकान है जिसका एफ0पी0एस0 आई0 डी0 121800301592 एवं इनके उपर दरौली थाना काण्ड सं0–268/2026 द्वारा प्राथमिकी दर्ज है इनके माता पेशन भेगी है। 3–क्रमांक 5, 6 एवं 7 पर अंकित नाम रोहित यादव जो एक ही पंचायत में तिन आवेदन अर्पित किये है ये एन0जी0ओ0 के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय डुमरहर में लिपिक पद पर कार्यरत है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रकाशित विज्ञापन के नोट–13 में स्पष्ट उल्लिखित है कि आवेदक दिनांक–16.03.2026 से दिनांक–04.04.2026 तक सभी शैक्षणिक योग्यता/अन्य प्रमाण–पत्रों की प्रति आवेदन के साथ जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर ऑनलाईन समर्पित करेंगे। जिसमें आवेदक के द्वारा स्नातक का अंक पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है। 1– आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई अमित कुमार मिश्रा का रोस्टर क्रमांक 1159 है जो चंलत दिव्यांगता श्रेणी के आवेदक को दिया जाना है। लेकिन चंलत दिव्याग्ता श्रेणी में एक ही रिक्ति है जो पूर्व से रोस्टर क्रमांक 1168 के आवेदक जो योग्यता में अमित कुमार मिश्रा से उपर है, उनको अनुशंसित है। अतः अंतिम मेधा सूची में सुधार करते हुए अमित कुमार मिश्रा कों उनके मूल वरियता क्रम पर रखा जाये। परिवार के किसी अन्य सदस्य के सरकार में लाभ का पद धारण करने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नही है। 2–प्रकाशित विज्ञापन के नोट–07 के अनुसार ''एक से अधिक पंचायत के लिए आवेदन करने पर आवेदक के सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा''। एक ही पंचायत के लिए एक से अधिक आवेदन करना निरर्हता का आधार नही है। कृष्णा कुशवाहा के चचेरे भाई का पी0डी0एस0 दुकान है जो परिवार की श्रेणी में नही आता है। पुलिस अधीक्षक सिवान सदर द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत है। परिवार के किसी अन्य सदस्य के सरकार में लाभ का पद धारण करने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नही है। 3– एक ही पंचायत के लिए एक से अधिक आवेदन करना निरर्हता का आधार नही है। यह सरकारी लाभ का पद नही है। उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
8	रामजन्म यादव ग्राम+पोस्ट– डुमरहर खुर्द	1– ऑनलाईन आवेदन लिस्ट नं0–01 अमित कुमार मिश्रा के घर में सभी लोग बिजनेश मैन है, यह खुद बहुत बड़ा बिजनेश मैन है फिर भी अपने को दिव्यांग बता रहा है। 2– अमृता कुमारी बहुत बड़ा कारोबारी है एवं इनका आटा चक्की मील है। घर में ब्लॉक प्रमुख है। 3–रोहित कुमार सरकारी स्कुल में कम्प्यूटर टीचर है। 4–गोपाल राम मरनेगा का ऑन लाईन काम करते है इनका पुरा डाक्यूमेन्ट जॉच किया जाय। 5–अनुज कुमार दुबे ग्राम+पोस्ट– डुमरहर बुजुर्ग है स्नातक का सर्टिफिकेट का जॉच कराया जाय। 6– कृष्ण कुमार कुशवाहा के द्वारा दो बार आवेदन डाला गया है और इनके यहॉ पहले से ही उकरेरी पंचायत में राशन का दुकान भी चलता है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि – 1–आवेदक के दावा/अपत्ति की जाँच जिला के वेबसाईट www.siwan.nic.in पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों से की गई। अनुमोदित आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुसार पंचायत डुमरहर बुजुर्ग के अनारक्षित कोटि का रोस्टर क्रमांक 1159 है जो चंलत दिव्यांगता श्रेणी के आवेदक को दिया जाना है, लेकिन चंलत दिव्यांगता कोटि में एक ही रिक्ति है जो दिव्यांगजन कोटि में अमित कुमार मिश्रा से उपर के मेधा सूची वाले आवेदक को आवंटित किया जा चुका है। अतः अंतिम मेधा सूची में सुधार करते हुए अमित कुमार मिश्रा को उनके मूल वरियता क्रम पर रखा जाये। 2–अमृता कुमारी का आटा–चक्की मिल है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11(iii) के अनुसार "आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी"। जिसके आलोक में अमृता कुमारी का आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। 3–परिवार के किसी अन्य सदस्य के सरकार में लाभ का पद धारण करने पर आवेदक को निरर्हित करने का प्रावधान नही है। 4/5–जिला चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशन के साथ निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरुप समर्पित प्रमाण पत्रों/ व्यापार स्थल के सत्यापनोंपरांत चयनित अभ्यर्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी चरण में समर्पित प्रमाण–पत्रों में गड़बड़ी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। 6–एक ही पंचायत के लिए एक से अधिक आवेदन करना निरर्हता का आधार नही है। कृष्णा कुमार कुशवाहा के चचेरे भाई का पी0डी0एस0 दुकान है जो परिवार की श्रेणी में नही आता है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति क्रमांक 01 एवं 02 स्वीकृत तथा क्रमांक 03 से 06 तक अस्वीकृत किया जाता है।**	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
9	गोपाल राम पिता–बादु राम ग्राम–डुमरहर बुजुर्ग	औपबंधिक मेधा सूची के क्रमांक 01 पर अंकित सुनिल कुमार राम, पिता–गुनराज राम, जो पहले से ही डुमरहर बुजुर्ग में स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत है। इनके पास आटा चक्की मशीन तीन पहीया वाहन है जो सरकार के तरफ से मिला है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरौली का पत्रांक–1328, दिनांक–22.08.2026 द्वारा संसूचित है कि सुनिल कुमार राम की नियुक्ति लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के प्रथम चरण अन्तर्गत 2017 में स्वच्छताग्राही के रूप में किया गया था, जो 2019–20 में समाप्त हो चुका है। वर्तमान समय में सुनिल कुमार राम अपने पंचायत में स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त/कार्यरत नही है और ना ही स्वच्छता कर्मी है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सिवान सदर के ज्ञापांक 3376 दिनांक 14.10.026 से संयुक्त जाँच कराते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि " आवदेक (सुनिल कुमार राम) के व्यापर स्थल के पूरब में सड़क स्थित है। जाँच के दौरान प्रस्तावित व्यापर स्थल पर जमीन पर आटा–चक्की का इंजन रखने वाला लकड़ी का प्लेट फॉर्म पाया गया। तत्पश्चात विवेक राम, पिता– अनिल राम, ग्राम–डुमरहर बुजुर्ग, प्रखण्ड– दरौली, सिवान द्वारा लिखित बयान दिया गया कि यहाँ जो आटा–चक्की चलता था उसका मालिक मै हूँ और मेरे निगरानी में यह आटा चक्की चलता था, सुनील राम मेरे चाचा है। हम और मेरे चाचा अलग– अलग रहते है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11(iii) के अनुसार "आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी"। सरकार के तरफ से तीन पहिया वाहन प्राप्त होने पर उचित मुल्य की दुकान के अनुज्ञप्ति से निरर्हित करने का कोई प्रावधान नहीं है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

(सौरभ कुमार)
जिला सहकारिता पदाधिकारी
सिवान।

(चन्दन कुमार)
जिला मत्स्य पदाधिकारी
सिवान।

(अनीता सिन्हा)
अनुमण्डल पदाधिकारी
महाराजगंज।

(आशुतोष गुप्ता)
अनुममण्डल पदाधिकारी
सिवान सदर।

(तनुजा श्री)
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सिवान।

(विजय प्रकाश मीणा)
जिला पदाधिकारी
सिवान।

समाहरणालय, सिवान।

(जिला आपूर्ति शाखा)

नई जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त दावा–आपत्ति के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन

प्रखण्ड–दरौली	पंचायत–अमरपुर	रिक्ति–01 आरक्षण कोटि – अ0पि0वर्ग (1)	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	विजेता कुमार पिता–श्री नरेन्द्र प्रसाद ग्राम+पोस्ट–केवटलिया	1– मेरा कुल प्राप्तांक जोड़ने में कार्यालय द्वारा त्रुटि हुई है इसे पुनः जॉच किया जाय। 2–मेरा उम्र भी पॉचो अभ्यर्थी से अधीक है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि – 1–औपबंधिक मेघा सूची में टंकणीय भूल वश आवेदक का प्राप्तांक 3900 के जगह 3899 अंकित हो गया है। अंतिम मेधा सूची में आवेदक के प्राप्तांक में उक्त सुधार करते हुए मेघा क्रमांक का पुनर्निर्धारण किया जाए। आवेदक का वास्तविक प्राप्तांक प्रतिशत निम्नवत् है। प्राप्तांक–3900 कुल अंक–5700 प्रतिशत–68.42 2– उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर वरीयता निर्धारित की गई है। प्राप्तांक समान होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। **उक्त के आलोक में दावा/आपति क्रमांक 01 स्वीकृत तथा क्रमांक 02 अस्वीकृत किया जाता है।**	
2	संध्या कुमार चौहान, ग्राम पंचायत अमरपुर।	विज्ञापन में कंडिका 02 के विरूद्ध गलत दोष पूर्ण मार्क बढ़ाकर बनाया गया है जिसकी जॉच कराई जाए।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 09 (v) के अनुसार उचित मुल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास एवं वयस्क होगा परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। यदि आवेदक कम्प्यूटर ज्ञान रखते है तो उन्हे इस स्तर पर समान माना जाएगा तथा उसके पश्चात उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाएगी। केवल कम्प्यूटर पाठ्यक्रम की अवधि को नियम में वरीयता का आधार नहीं बनाया गया है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति अस्वीकृत किया जाता है।**	

(सौरभ कुमार) जिला सहकारिता पदाधिकारी सिवान।	(चन्दन कुमार) जिला मत्स्य पदाधिकारी सिवान।	(अनीता सिन्हा) अनुमण्डल पदाधिकारी महाराजगंज।	(आशुतोष गुप्ता) अनुममण्डल पदाधिकारी सिवान सदर।	(तनुजा श्री) जिला आपूर्ति पदाधिकारी सिवान।	(विजय प्रकाश मीणा) जिला पदाधिकारी सिवान।

समाहरणालय, सिवान।

(जिला आपूर्ति शाखा)

नई जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त दावा–आपत्ति के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन

प्रखण्ड–दरौली	पंचायत–तियर	रिक्ति–02	आरक्षण कोटि – अनारक्षित (1) अनु0जाति महिला (1)	

क्रं0	दावाकर्त्ता/आपतिकर्त्ता का नाम एवं पता	दावा/आपति की संक्षिप्त विवरण	जिला चयन समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	ब्यूटी कुमारी पिता–अखिलेश सिंह ग्राम–पटेढा, पोस्ट–बलहुँ	औपबंधिक मेधा सूची के क्रम संख्या 01 की आवेदिका कल्पना पाण्डेय, ग्राम+पो0–पिहुली का अपने चचेरे बाबा स्व0हरेराम पाण्डेय व चचेरी भाभी सपना देवी वर्तमान मुखिया, पंचायत राज तियर का आटा–चक्की का प्लानंट आवेदिका के जमीन पर स्थित है। आवेदिका आटा चक्की मालिक के प्लांट की सगी गोतिया है। जो रिस्तें में बाबा लगते है। आवेदिका के घर के बगल में पहले से ही जन वितरण प्रणाली की दुकान संचालित है।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दरौली के पत्रांक–149 दिनांक–29.08.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी सिवान सदर के पत्रांक 1177 दिनांक 18.09.2026 से प्रतिवेदित किया गया है कि स्थलीय जॉच के क्रम में कल्पना पाण्डेय के जमीन पर आटा–चक्की का मोटर चालित इंजन लगा हुआ पाया गया। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश–2016 के भाग 2 की कंडिका 11(iii) के अनुसार "आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी"। जिसके आलोक में श्री कल्पना पाण्डेय का आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। **उक्त आदेश के आलोक में दावा/आपति स्वीकृत किया जाता है।**	

(सौरभ कुमार)
जिला सहायक पदाधिकारी
सिवान।

(चन्दन कुमार)
जिला मत्स्य पदाधिकारी
सिवान।

(अनीता सिन्हा)
अनुमण्डल पदाधिकारी
महाराजगंज।

(आशुतोष गुप्ता)
अनुममण्डल पदाधिकारी
सिवान सदर।

(तनुजा श्री)
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सिवान।

(विजय प्रकाश मीणा)
जिला पदाधिकारी
सिवान।